Rcms 2018/00167

मि0न0 28/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा बनाम हरनारायण पुत्र रामरतन कौम ब्रा0 निवासी गोठडाखुर्द तहसील पीपल्दा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम गोठडाखुर्द तहसील पीपल्दा के पूर्व खं0न0 125 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2009–2028 में किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज खाता सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। हाल नम्बर 185 रकबा 0.32है0 उक्त आराजी अप्रार्थी श्री हरनारायण पुत्र रामरतन कोम ब्रा0 सा0 गोठडाखुर्द तहसील पीपल्दा के नाम के खातेदार के दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है। अतः खाता सं0 87 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त भूमि गै0मु0 तलाई राजकीय खाते में दर्ज करने का निवेदन किया गया । रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । आपके कार्यालय द्वारा तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी अंकित पते पर निवास नहीं करता है। अप्रार्थी के सही पते की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस न्यायाल के पत्र क्रमांक/रीडर/एडीएम/2019/10 दिनांक 21.10.2019 से तहसीलदार पीपल्दा को पत्र लिखा गया लेकिन आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का सही पता अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र प्ररतुत करे। मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार पीपल्दा को लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	